तहसीलदार
फूलिया कलाँ भीलवाड़ा

240/16

आदेश

रिपोर्ट तहसीलदार फूलियाकलाँ के अनुसार ग्राम [illegible] के खाता सं. 11 व 27 नई अब [illegible] में पुत्रों के पिता का नाम [illegible] है जबकि पुत्रों के पिता का नाम तोलाराम होने से पुत्रों के पिता का नाम नोला के बजाय तोलाराम दर्ज करना चाहता है। प्रकरण [illegible] को अवलोकन किया गया। ग्राम [illegible] के खाता सं. 11 व 27 नई अब [illegible] में पुत्रों के पिता का नाम [illegible] के बजाय तोलाराम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार फूलियाकलाँ को दिया गया। आदेश आज दिनांक 9-5-16 को नकल वादियों पर भुगते आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.
उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलाँ, जिला-भीलवाड़ा